एशियाई विकास बैंक

भारत : कच्छ पवन परियोजना

परियोजना का नाम	कच्छ पवन परियोजना
परियोजना की संख्या	51210-001
उधारकर्ता/कम्पनी	ओस्ट्रो कच्छ विंड प्राइवेट लिमिटेड
देश	भारत
अवस्थिति	गुजरात
अनुमोदन संख्या	7539/3622
एडीबी सहायता का प्रकार/राशि	साधारण पूंजी संसाधन यूएस डॉलर 100.00 मिलियन प्रस्तावित
रणनीतिक कार्यसूची	पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी विकास समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	भागीदारियां निजी क्षेत्र विकास
सेक्टर/उप–सेक्टर	**ऊर्जा** – नवीकरणीय ऊर्जा जनन – वायु
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	कोई लैंगिक तत्व नहीं
जिम्मेदार एडीबी विभाग	निजी क्षेत्र प्रचालन विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	अवसंरचना वित्त प्रभाग 1
जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	श्रीवास्तव, सौमित्र
प्रोजेक्ट का प्रायोजक	ओस्ट्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
विवरण	इस परियोजना में जिला कच्छ, भारत में अवस्थित 250 मे.वा. की पवन ऊर्जा परियोजना का विकास तथा निर्माण सम्मिलित है। परियोजना एक निर्माण–स्वामित्वधारण–प्रचालन आधार पर विकसित की जा रही है। एडीबी उधारकर्ता, ओस्ट्रो कच्छ विंड प्राइवेट लिमिटेड को एक प्रत्यक्ष अस्वायत्त ऋण का प्रस्ताव दे रहा है। प्रस्तावित वित्त पोषण की संरचना एक मानक परियोजना वित्त ऋण के रूप में आकार लेगी। उधारकर्ता उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माण का वित्त पोषण करने के लिए समता निवेश तथा स्थानीय वाणिज्यिक ऋण के साथ इन निधियों का उपयोग करेगा।
उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र	परियोजना के अंतर्गत यह पहली बार दर्शाया जा रहा है कि एडीबी भारत में प्रतिस्पर्द्धी बोली लगानेवाली पवन ऊर्जा परियोजना का समर्थन कर रहा है। इसे पहली बार पवन नीलामी के माध्यम से एक ऐसे मूल्य पर प्रदान किया गया था, जो कि भारत में पवन ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धी बनाता है। नीलामी के पीछे का उद्देश्य कम पवन स्रोत वाले राज्यों को एक प्रतिस्पर्द्धी मूल्य पर अपने अ–सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करना है। एक दीर्घावधि ऋण के रूप में एडीबी की सहायता परियोजना वित्त में उल्लेखनीय सुधार करेगी। इसके फलस्वरूप प्रतिस्पर्द्धी बोली वाली पवन परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यावहारिकता स्वीकार करने में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध	परियोजना का विकास अवसंरचना तथा पर्यावरण को सहायता प्रदान करता है, जो कि एडीबी के पांच आधारभूत प्रचालनात्मक क्षेत्रों में से दो हैं, जो कि एडीबी की रणनीति 2020 पर आधारित हैं तथा यह रणनीति 2020 की मध्यावधि पुनर्समीक्षा के माध्यम से इसकी पुनः पुष्टि करता है। परियोजना का विकास अवसंरचना तथा पर्यावरण को सहायता प्रदान करता है, जो कि एडीबी के पांच आधारभूत प्रचालनात्मक क्षेत्रों में से दो हैं, जो कि एडीबी की रणनीति 2020 पर आधारित हैं तथा यह रणनीति 2020 की मध्यावधि पुनर्समीक्षा के माध्यम से इसकी पुनः पुष्टि करता है। एडीबी की भारत हेतु देश भागीदारी रणनीति (2018–2022) तीन विकास स्तंभों पर आधारित है : (i) अधिक तथा बेहतर नौकरियां उत्पन्न करने के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना, (ii) अवसंरचना कार्यक्रमों तथा सेवाओं का समावेशी प्रावधान, तथा (iii) जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ते जलवायु लचीलेपन की समस्या का समाधान

	करना। परियोजना विशेष रूप में स्तंभ (iii) का समर्थन करती है। परियोजना एडीबी ऊर्जा नीति के अनुसार चल रही है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए सहायता को प्राथमिकता प्रदान की गई है। सितंबर 2015 में एडीबी ने घोषणा की कि यह 2020 तक जलवायु वित्त पोषण के लिए अपनी वार्षिक प्रतिबद्धता को दोगुना यानी $6 मिलियन तक करेगा, इसमें राहत के लिए भी वार्षिक रूप में $4 बिलियन शामिल हैं। इस $6 बिलियन में से $3 बिलियन स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के विकास पर लगाए जाएंगे जिसमें सौर, पवन, नवीकरणीय ऊर्जा पारेषण तथा अन्य नवीकरणीय प्रौद्योगिकियां सम्मिलित होंगी।
सुरक्षा संवर्ग	
पर्यावरण	ख
अस्वैच्छिक पुनर्वास	ग
स्वदेशी लोग	ग
पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश	
पर्यावरण पहलू	एडीबी एसपीएस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक आंशिक पर्यावरणीय जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया था। प्रतिवेदन में परियोजना स्थल में बुरी तरह खतरे में पड़े अथवा खतरे में पड़े किसी जीव–जंतु का अभिलेखन नहीं किया गया है। प्रचालन चरण, विभिन्न ऋतुओं में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, पक्षी तथा चूहा निगरानी आवधिक रूप में संचालित की जाएगी। ध्वनि प्रतिदर्शन से ज्ञात हुआ कि डब्ल्यूटीजी ध्वनि स्तर दस (10) संवेदनशील अभिग्राहकों (रिसेप्टर्स) पर 45dBA रात्रि समय मानकों से थोड़ा अधिक होगा तथा छाया झिलमिलाहट के प्रतिदर्शन से ज्ञात हुआ कि यहां ऐसे सात (7) अभिग्राहक (रिसेप्टर्स) हैं, जो 17 डब्ल्यूटीजी की तुलना में वार्षिक रूप से 30 घंटों से अधिक का छाया प्रभाव अनुभव करेंगे। परियोजना के लिए डब्ल्यूटीजी अवस्थितियों के अंतिम चयन से संवेदनशील डब्ल्यूटीजी अवस्थितियां बाहर होंगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ऊंचाई स्वीकृति हेतु कम्पनी द्वारा "कोई आपत्ति नहीं" हेतु आवेदन किया जाएगा। समस्त निर्माण तथा प्रचालनात्मक प्रभाव और राहत कार्य परियोजना की पर्यावरण प्रबंधन योजना में निर्धारित हैं।
अस्वैच्छिक पुनर्वास	उधारकर्ता के पास अपनी भूमि आवश्यकताओं के लिए सरकारी स्वामित्वहरण का कोई उपाश्रय नहीं है। समस्त डब्ल्यूटीजी की अवस्थापना सरकार की स्वयं की राजस्व भूमियों पर की जाएगी, जो कि परियोजना हेतु आबंटित होंगी। आईईई ने मूल्यांकन तथा प्रलेखांकन किया है कि भूमि बहुत हद तक भारग्रस्तताओं से मुक्त है और परियोजना के लिए इन भूमियों के हस्तांकरण हेतु अनैच्छिक पुनर्वास मुद्दों की संभावना नहीं हैं। अन्य परियोजना उप–संघटक जैसे कि पारेषण लाइन तथा पहुंच मार्गों की अवस्थापना सरकारी और निजी दोनों की मिश्रित भूमियों पर की जाएगी। इस हेतु सरकारी भूमियों को परियोजना के लिए हस्तांतरित किया जाएगा जबकि निजी भूमियों को सीधे खरीदा जाएगा अथवा एक स्वतः ऐच्छिक विक्रेता–क्रेता व्यवस्था पर व्यक्तिगत भू स्वामियों के साथ एक बार की व्यवस्था के अंतर्गत हुए समझौते के माध्यम से पट्टे पर लिया जाएगा। समझौता तथा बंदोबस्त प्रक्रिया की निष्पक्षता तथा एसपीएस आवश्यकताओं के अनुरूप होने की पुष्टि करने के लिए भूमि क्रय प्रक्रिया का एक स्वतंत्र लेखा–परीक्षण किया जाएगा।
स्वदेशी लोग	परियोजना तथा इसकी गतिविधियों का संभवतः स्वदेशी लोगों (आईपी) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संभावित डब्ल्यूटीजी अवस्थितियों की पहचान करने के लिए कम्पनी की प्रारंभिक निगरानी प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति तथा आईपी की भूमियों से बचा गया है।
स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श	हितधारक परामर्शन का संचालन आईईई और भूमि संग्रहण प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में किया गया है। इन परामर्शन के अंतर्गत उन स्थानीय समुदायों और अन्य सुसंगत हितधारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनकी या तो इस परियोजना में रुचि है या जो इसको प्रभावित करते हैं। उधारकर्ता पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) के अंतर्गत ऐसे हितधारक संचार, प्रतिभागिता तथा परामर्शन की आवश्यकता अनुभव की जा रही हैं, जो कि एसपीएस आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।
सहायता अभिकल्पना, प्रोसेसिंग तथा क्रियान्वयन हेतु समय–सारणी	
अवधारणा मंजूरी	20 जून 2017
सम्यक् सतर्कतस	

ऋण समिति की बैठक	06 नवंबर 2017 से 06 नवंबर 2017
अनुमोदन	12 दिसंबर 2017
अंतिम पीडीएस अद्यतन	25 अक्टूबर 2017
परियोजना पृष्ट	https://www.adb.org/projects/51210-001/main
सूचना के लिए अनुरोध	http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51210-001
निर्माण की तिथि	11 मई 2018

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई हैः क्योंकि पीडीएस प्रगति–में–कार्य होता है, इसके आरंभिक संस्करण में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।

एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्त्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशियाई विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।